भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2354
उत्तर देने की तारीख 03.08.2026

मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण संबंधी व्यय

2354. श्री राजकुमार रोत:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान सरकार या सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा स्थापित मूर्तियों और स्मारकों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी निर्माण और रखरखाव पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़कों सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद मूर्तियों और स्मारकों पर बड़ी धनराशि व्यय किए जाने के संबंध में नागरिकों ने आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराई हैं;

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक धन से मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण के लिए कोई स्पष्ट नीति, अधिकतम व्यय सीमा और पारदर्शी स्वीकृति प्रक्रिया लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय ने प्रतिमाओं और स्मारकों की स्थापना नहीं की है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से स्थापित अन्य प्रतिमाओं और स्मारकों का विवरण **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है।

(ख): संस्कृति मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): उपरोक्त बिंदु (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ): जी नहीं। सार्वजनिक निधियों से प्रतिमाओं और स्मारकों का निर्माण, जहाँ कहीं भी किया जाता है, संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन पर लागू मौजूदा नीतियों, नियमों, दिशानिर्देशों और वित्तीय प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है।

(ङ): उपरोक्त बिंदु (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

अनुलग्नक-I

'मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण संबंधी व्यय' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2354 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी),
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के
माध्यम से स्थापित प्रतिमाओं और स्मारकों का विवरण

क्र. सं.	**प्रतिमाओं / स्मारकों का विवरण**	**व्यय**	**वर्ष**	**संगठन**
1	पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी स्मारक, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु	41.34 करोड़ रु.	2017-18	सीपीडब्ल्यूडी
2	राष्ट्रीय दांडी स्मारक परिसर, दांडी, जिला नवसारी, गुजरात	59 करोड़ रु.	2019	सीपीडब्ल्यूडी
3	अंबेडकर स्मारक, दिल्ली	122.87 करोड़ रु.	2018	सीपीडब्ल्यूडी
4	जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा के लिए प्लैटफॉर्म	7.89 लाख रु.	2024	सीपीडब्ल्यूडी
5.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा	14.56 लाख रु.		सीपीडब्ल्यूडी
6.	एनसीईआरटी परिसर, हौज़ खास, नई दिल्ली में वेद व्यास की प्रतिमा	1,95,344/- रु.		सीपीडब्ल्यूडी
